प्रथम सूचना रिपोर्ट, गिरफ्तारी और जमानत के सम्बन्ध में नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य

1. अपराध तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट :-

जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो कानून द्वारा दण्डनीय हो ता यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने ''अपराध'' किया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता में अपराधों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ''सज्ञेय अपराध'' और ''असंज्ञेय अपराध''। असंज्ञेय अपराध से तात्पर्य ऐसे अपराधों से है जिसमें पुलिस किसी भी अपराधी को बीना वारण्ट के गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं रखती। किसी असंज्ञेय अपराध में मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस को विवेचना करने के आदेश देने पर ऐसा अपराध भी संज्ञेय अपराध की परिधि में आ जाता हैं किन्तु पुलिस द्वारा बिना वारन्ट गिरफ्तारी पर प्रतिबन्ध बना रहता है। सामान्यताय पुलिस द्वारा विवेचना के पहले अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की जाती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का आशय उस सूचना से है जो किसी पुलिस थाने पर धारा 154 में संज्ञेय तथा धारा 155 में असंज्ञेय अपराधों के विषय में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करने का प्राविधान है। संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति द्वारा सम्बन्धित थाने के भार साधक अधिकारी (Officer Incharge Police Station) का तथा जहाँ राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हो वहाँ पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार या एस0डी0एम0 को मौखिक या लिखित सूचना दी जा सकती हैं मौखिक सूचना प्राप्त होन पर थान के भार साधक अधिकारी राजस्व पुलिस अधिकारी द्वारा स्वयं या अपने निर्देशाधीन किसी भी अधिकारी द्वारा सूचना को निर्धारित प्रपत्र पर लेखबद्ध करना अनिवार्य है। लिखित सूचना प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट का आधार लिखित सूचना होती हैं प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करने के बाद सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाया जाना चाहिए तथा उस पर सूचना देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर या निशान अंगूठा लिया जाना चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सूचना देने वाले व्यक्ति को तत्काल नि:शुल्क दिया जाना आवश्यक है। किसी मामले में भार साधक अधिकारी द्वारा सूचना लिखने से इंकार करने की दशा में व्यथित व्यक्ति द्वारा सूचना का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा सम्बद्ध पुलिस अधीक्षक या जिला मजिस्ट्रेट को भेजा जा सकता है। संज्ञेय अपराध ा हाने का समाधान होने पर उनके द्वारा स्वयं विवेचना की जा सकती है या अपने किसी अधीनस्थ पुलिस अधिकारी के माध्यम से विवेचना करायी जा सकती है तथा इस प्रकार अधिकृत विवेचना करने वाले पुलिस अधिकारी को भी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी की सभी शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं।

असंज्ञेय अपराध के विषय में भी सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना के सार को प्रथम सूचना रिपोर्ट के निर्धारित फार्म पर लेखबद्ध किया जाता है तथा सूचना देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने को निर्देशित किया जाता है। असंज्ञेय अपराध में पुलिस को विवेचना का अधिकार नहीं होता, किन्तु मजिस्ट्रेट द्वारा विवेचना का आदेश दिए जाने पर पुलिस को विवेचना करने का अधिकार (वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने की शंक्ति के सिवाय) हो जाता है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट से दो या अधिक अपराध बनने की दशा में, जिनमें कम से कम एक अपराध संज्ञेय हो, पुलिस को असंज्ञेय अपराधों में भी विवेचना का अधिकार हो जाता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 190 (1) (क) में मजिस्ट्रेट को परिवाद के आधार पर प्रसंज्ञान लेने का प्राविधान है किन्तु मजिस्ट्रेट द्वारा प्रसंज्ञान न लेकर, पुलिस को विवेचना के लिये आदेशित करने की दशा में पुलिस को विवेचना का अधिकार प्राप्त हो जाता है।

अपराधिक मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दोषसिद्ध करने के लिए साक्ष्य का आधार होती है अत: प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाते समय ध्यान रखना आवश्यक है कि उसमें घटना का सही समय, स्थान तथा घटना के सही तथ्य लिखाए जाएं अन्यथा विवेचना तथा विचारण में साक्ष्य में विरोधाभास हो जाता है जिसका लाभ अपराध करने वालों को मिलता है तथा सही अपराधी भी दोष मुक्त हो जाते हैं। अपराध होन के बाद जितना शीघ्र हो पुलिस को सूचना दी जानी चाहिए। विलम्ब से सूचना देने पर अभियुक्त द्वारा प्राय: तर्क दिया जाता है कि सूचना सोच विचार करके तथा तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर लिखायी गई है।

2. पुलिस को बिना वारण्ट गिरफ्तार करने का अधिकार -

कानून में पुलिस द्वारा किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित स्थितियों में बिना वारण्ट गिरफ्तार करने का अधिकार है-

(क) यदि वह व्यक्ति संज्ञेय अपराध से सम्बन्धित है, या उसके विरूद्ध संज्ञेय अपराध करने के विश्वसनीय (Credible) संदेह, परिवाद या सूचना प्राप्त हो या किए जाने की शिकायत है।

(ख) यदि उसके आधिपत्य में गृह भेदन के औजार पाए जाते हैं।

(ग) यदि उसके कब्जे से चोरी की सम्पत्ति पाई जाती है।

(घ) यदि वह उद्‌घोषित अपराधी है।

(ड) यदि वह किसी पुलिस अधिकारी को उसके कर्तव्य पालन में अवरोध उत्पन्न करता है।

(च) यदि वह वैधानिक हिरासत से भागता है।

(छ) यदि वह जल, थल या वायु सेना का भगोड़ा है।

(ज) यदि वह भारत के बाहर है और कोई ऐसा अपराध करता है जो यदि भारत में किया गया होता तो अपराध के रूप में दण्डनीय होता या किसी प्रत्यावर्तित (Extradition) कानून या (Fugitive Offenders Act) कानून के अन्तर्गत दण्डनीय होता।

(झ) यदि उसके द्वारा संज्ञेय अपराध की तैयारी करने का संदेह है।

(ञ) यदि वह सजा पाने के उपरान्त न्यायालय द्वारा लगाये गये किसी प्रतिबन्ध को तोड़ता है।

(ट) यदि वह आदतन अपराधी हो।

(ठ) यदि वह असंज्ञेय अपराध करने के बाद पुलिस को अपना नाम, पता न बताता हो या गलत बताता है।

जहाँ पर अपराध उपरोक्त प्रकृति के नहीं हैं अर्थात् असंज्ञेय अपराध है तो पुलिस को अपराधी को गिरफ्तार करने से पहले मजिस्ट्रेट से गिरफ्तारी वारण्ट प्राप्त करना आवश्यक है। तब तक उस अपराधी को गिरफ्तारी वारण्ट नहीं दिखाया जाता पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि वह असंज्ञेय अपराध करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सके। किसी-किसी कानून में पुलिस के अलावा अन्य अधिकारियों को भी गिरफ्तार करने की शक्ति दी हुई है। यदि ऐसे अधिकारियों द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके थाने पर लाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को पुलिस द्वारा पुन: गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है।

गिरफ्तारी वारण्ट मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है जिसमें पुलिस अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि वह अपराधी जिसका नाम तथा पूर्ण पता और अपराध का विवरण लिखा होता है, को गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को वारण्ट के विषय में बताए तथा यदि वह वारण्ट की मांग करता है तो उसको वारण्ट दिखाए।

3. जनता द्वारा अपराधी को गिरफ्तार करने का अधिकार -

पुलिस का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वह चौकसी बरते और अपराधियों को पकड़कर उनको दण्ड दिलवाए। परन्तु यह बात सच है कि पुलिस प्रत्येक स्थान पर हमेशा उपलब्ध नहीं रह सकती। अपराधी भी पुलिस की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर अपराध करने को मौका ढूंढते हैं इसलिए जनता का भी यह कर्तव्य है कि किसी अपराधी को पकड़ने में सक्रिय सहयोग दे और केवल मूक दर्शक न रहें। कानून में आम जनता से भी यह अपेक्षा की गई है कि वह अपराध की रोकथाम करने के लिए अपराधियों को पकड़वाने में पुलिस की मदद करें। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कानून में आम जनता को भी अपराधियों को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया है। धारा 43 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत जनता का कोई भी व्यक्ति, कुछ विशेष परिस्थितियों में, जिसका विवरण नीचे दिया गया है किसी भी अपराध करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है।

यदि अपराध करने वाले व्यक्ति ने उसकी उपस्थिति में ऐसा अपराध किया है जिसकी प्रकृति अजमानतीय है अर्थात् जिस अपराध में जमानत अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं की जा सकती, तथा जो अपराध किया गया है वह संज्ञेय अपराध है जिसका अर्थ यह है कि पुलिस की उपस्थिति में यह वह अपराध किया जाता तो पुलिस अधिकारी भी उस व्यक्ति को बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर सकती, इसके अतिरिक्त अपराध करने वाला व्यक्ति यदि घोषित अपराधी है तो ऐसे अपराधी को भी जनता द्वारा गिरफ्तार किये जाने का अधिकार है। उपरोक्त परिस्थितियों में आम जनता द्वारा किसी अधिकारी को गिरफ्तार करने के बाद बिना अनुचित विलम्ब के पुलिस अधिकारी को सौंप देना अनिवार्य है और यदि कोई पुलिस अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो गिरफ्तार शुदा व्यक्ति को अविलम्ब निकटतम थाने में ले जाकर सुपुर्द करने का विधान है।

4. पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किस प्रकार की जाएगी -

जब किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाएगा तो उसके प्रति बल प्रयोग नहीं किया जा सकता परन्तु यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का प्रतिरोध करता है अथवा गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है तो ऐसी देशा में पुलिस अधिकारी उसे आवश्यक बल प्रयोग करके गिरफ्तार कर सकता है। किन्तु किसी भी दशा में बल प्रयोग करके उसकी मृत्यु कारित नहीं कर सकता जब तक कि उस व्यक्ति ने आजीवन कैद या मृत्यु दण्ड से दण्डित होने वाला अपराध नहीं किया है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 46 में गिरफ्तारी किस प्रकार की जाएगी, का उल्लेख किया गया है। गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को स्पर्श करके या उसे निरूद्ध करके गिरफ्तारी की जाएगी जब तक वह स्वत: अपने व्यवहार या शब्दों से गिरफ्तार न कराए। यह आवश्यक नहीं है कि उसको पकड़कर हथकड़ी या रस्सी बांधी जाए तभी उसकी गिरफ्तारी समझी जायेगी। न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी कि यदि गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति शातिर किस्म का अपराधी नहीं है या उसका हिरासत से भाग जाने का डर नहीं है तो उसको हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी दशा में गिरफ्तार व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाए। यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति अपने करीबी या हितैशी या वकील से सम्पर्क करना चाहता है तो उसको अवसर भी दिया जाना चाहिए। गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को अपराधी के छिपने वाले स्थान की तालशी का भी अधिकार है।

5. आम जनता का पुलिस को अपराध की सूचना देना एवं सहायता करने का कर्तव्य -

जहाँ कानून में अपराधियों को पकड़ने तथा दण्ड दिलवाने का कर्तव्य पुलिस का है वहाँ कुछ परिस्थितियों में जनता भी पुलिस की सहायता करने को बाध्य है। जनता द्वारा पुलिस को सहायता से इंकार करने पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। निम्न परिस्थितियों में प्रत्येक नागरिक पुलिस की सहायता करने को बाध्य है:-

(क) उस व्यक्ति को पकड़कर ले जाने या पकड़ने में भगाने से रोकने में जिसे पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए अधिकृत है।

(ख) शान्ति भंग को दबाने या रोकने में, रेलवे, नहर, टेलीग्राफ या अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति को होने वाले नुकसान को रोकने में।

अपराधियों की सूचना पुलिस को सही समय पर न मिलने पर संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो जाता है तथा अपराधी कानूनी दायित्वों से बच जाते हैं अत: जनता से यह अपेक्षा की गई है कि कुछ विशेष अपराध जो गम्भीर प्रकृति के होते हैं उनकी जानकारी होने पर अविलम्ब निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित करें।

6. गिरफ्तारी वारण्ट कैसा होना चाहिए -

गिरफ्तारी के वारण्ट के सम्बन्ध में यह प्राविधान है कि वारण्ट लिखित रूप में न्यायालय द्वारा जारी किया जाए जिसमें कि मजिस्ट्रेट/पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हों और न्यायालय की मोहर भी हो। गिरफ्तारी का वारण्ट भारत के किसी भी स्थान पर निष्पादिन किया जा सकता है। इस प्रकार का वारण्ट तब तक प्रभावी रहता है तब कि उसका निष्पादन न हो जाए अथवा न्यायालय द्वारा उसको निरस्त न कर दिया जाएं गिरफ्तारी के वारण्ट में मुख्यत: 3 बातों पर ध्यान देना जरूरी है :-

(1) वारण्ट लिखित हो।

(2) न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।

(3) न्यायालय मोहर अंकित हो।

जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसका नाम तथा पता और उस अपराध का भी विवरण होना चाहिए जिसमें वह आरोपित है। यदि इसमें से कोई भी तत्व नहीं है तो ऐसा वारण्ट वैध नहीं है और निष्पादन में की गई गिरफ्तारी अवैधानिक मानी जा सकती है।

गिरफ्तारी वारण्ट दो प्रकार के होते हैं :-

(क) जमानतीय वारण्ट

(ख) बिना जमानतीय वारण्ट

जमानतीय वारण्ट से तात्पर्य ऐसे वारण्ट से है जिसमें न्यायालय द्वारा यह निर्देश होता है कि यदि वह व्यक्ति गिरफ्तार होता है और न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए समुचित बंधनामा प्रस्तुत करता है तो उससे निर्धारित धनराशि का जमानतनामा लेकर हिरासत से मुक्त किया जाए। जमानती वारण्ट में यह भी उल्लेख किया जाता है कि गिरफ्तार शुदा व्यक्ति को कितनी धनराशि की जमानत देने पर मुक्त किया जाना है और ऐसे व्यक्ति को न्यायालय में किस तिथि को तथा स्थान पर उपस्थित होना है। बिना जमानती वारण्ट से तात्पर्य ऐसे वारण्ट से है जिसमें गिरफ्तार किए जाने पर पुलिस अधिकारी को ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना किसी विलम्ब के न्यायालय के समक्ष पेश करना अनिवार्य होता है तथा गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति जमानत अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की जमानत मजिस्ट्रेट/न्यायालय द्वारा ही की जाती है। यदि किसी दूसरे जिले के गैर-जमानती वारण्ट पर कोई गिरफ्तार होता है तो ऐसे व्यक्ति की जमानत गिरफ्तारी वाले जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है।

7. तलाशी वारण्ट तथा तामीला का तरीका-

किसी व्यक्ति की, घर या शरीर की, यदि तलाशी लेनी हो तो उसके लिए तलाशी वारण्ट का प्रयोग किया जाता है।

तलाशी वारण्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाता है। मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी वारण्ट जारी करने संबंधी प्राविधान इस प्रकार हैं-

(1) अगर किसी व्यक्ति के बारे में सन्देह हो जाता है कि वह अपने शरीर पर कोई ऐसी चीज छिपाए है जिसके लिए तलाशी ली जानी है तो उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है और यदि वह व्यक्ति स्त्री है तो स्त्री की शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखते हुए तलाशी ली जायेगी।

(2) जब किसी न्यायालय को ऐसा विश्वास हो जाता है कि अन्वेषण जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजन के लिए किसी दस्तावेज का या किसी अन्य चीज का पेश किया जाना आवश्यक है या वांछनीय है और जिस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में ऐसा दस्तावेज या चीज होने का विश्वास है, वह व्यक्ति सम्मन द्वारा अपेक्षित दस्तावेज या चीज पेश नहीं करता है या ऐसे दस्तावेज या चीज के विषय में न्यायालय को यह समाधान हो जाए कि वह किसी व्यक्ति के कब्जे में यह अमुक स्थान पर है तो न्यायालय द्वारा तलाशी वारण्ट जारी किया जा सकता है।

न्यायालय को यह सामान्य अधिकार भी प्राप्त है कि अगर वह यह समझती है कि किसी जांच या विचारण या अन्य प्रयोजन की पूर्ति तलाशी द्वारा होगी तो उस स्थिति में भी न्यायालय द्वारा तलाशी हेतु वारण्ट जारी किया जा सकता है।

(3) अगर राज्य सरकार द्वारी किसी समाचार पत्र या पुस्तक या अन्य दस्तावेज को सरकार के पक्ष में समपहरण या जब्त (Forfeit) किए जाने की घोषणा कर दी गई हो तो कोई मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी को, जो उपनिरीक्षक स्तर से कम का न होगा, इस प्रकार के अंकों को प्राप्त करने हेतु तलाशी लेने के लिए वारण्ट द्वारा प्राधिकृत कर सकता है।

(4) अगर किसी व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में बन्द कर रखा गया हो जो कि अवैध परिरोध (Illegal Confinement) की श्रेणी में आता है तो मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी रिहाई के लिए तलाशी वारण्ट जारी किया जा सकता है और उस व्यक्ति के प्रस्तुत किये जाने पर उसके बारे में उचित आदेश मजिस्ट्रेट के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-187 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है।

(5) तालाशी लेने के लिए पुलिस अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि तलाशी लेने के पूर्व वह आसपास के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाए और उनके सामने तलाशी ले। अगर ऐसे व्यक्ति जिन्हें तलाशी लेने वाले अधिकारी ने बुलाया है या लिखित आदेश इस सम्बन्ध में उन्हें दिया है और वह उसके बावजूद भी उपस्थित नहीं होते तो उन व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-187 के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जा सकता है।

(6) तलाशी लेने वाले अधिकारी का दायित्व है कि तलाशी में जितनी चीजें पाई जाएं उनकी सही सूची तैयार करे और उस पर साक्षियों के हस्ताक्षर कराए तथा उसकी एक नकल उस व्यक्ति को दे जिसके पास या स्थान से वह चीजें प्राप्त हुई हैं। तैयार की गई सूची तथा वस्तु भी शीघ्र न्यायालय में भेजें।

(7) तलाशी वारण्ट में घर का पता, उसकी चौहददी का वर्णन होना आवश्यक है और जब पुलिस अधिकारी उस वारण्ट के अनुपालन में तलाशी लेने के लिए उस स्थान पर पहुंचता है तो उस स्थान के स्वामी को यह अधिकार होगा कि उस वारण्ट को देख सके। अगर वारण्ट में स्थान का वर्णन अपूर्ण है या वह वर्णन उसके स्थान से नहीं मिलता तो उस व्यक्ति को यह अधिकार होगा कि वह पुलिस अधिकारी को तलाशी न लेने दें।

(8) बिना वारण्ट के भी कतिपय विशेष परिस्थितियों में पुलिस अधिकारियों द्वारा तलाशी लेने की व्यवस्था है। अगर पुलिस थाने का भरसाधक अधिकारी या विवेचना अधिकारी को अपराध के अन्वेषण के सम्बन्ध में यह विश्वास हो जाए कि कोई चीज किसी स्थान पर पाई जा सकती है जो उसके जांच के लिए आवश्यक है और वारण्ट प्राप्त करने में विलम्ब होगा उस विलम्ब के कारण यह चीज न मिल सकेगी तो फिर वह अधिकारी अपने विश्वास के आधार को लिखकर उस चीज को प्राप्त करने हेतु बिना वारण्ट के तलाशी ले सकता है। इस प्रकार की तलाशी थाने के भार साधक अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी द्वारा ही ली जाएगी। किन्तु यदि वह ऐसी तलाशी स्वयं लेने में असमर्थ हो तो असमर्थता का कराण लिखने के पश्चात् अपने अधीनस्थ अधिकारी को भी तलाशी लेने हेतु प्राधिकृत कर सकता है। इन सभी अभिलेखों की प्रतियां तत्काल उसके द्वारा निकटतम ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने जिन्हें अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार हो, प्रस्तुत कर दी जायेगी। जिस व्यक्ति के स्थान की तलाशी ली गई हो उसको यह अधिकार होगा कि वह तलाशी संबंधी सभी अभिलेखों की नकलें नि:शुल्क मजिस्ट्रेट से प्राप्त कर लें। अगर किसी पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है किसी स्थान में छिपा हुआ है तो उस स्थान के स्वामी से पुलिस अधिकारी द्वारा अपेक्षा किये जाने पर उस स्थान के स्वामी का दायित्व है उस स्थान की तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधांए उपलब्ध कराए। इसके पश्चात पुलिस अधिकारी को उस स्थान की तलाशी लेने का अधिकार है। यदि कोई पर्दा करने वाली महिला ऐसे स्थान के भीतर हो जिसे स्वयं को गिरफ्तार नहीं किया जाना है तो पुलिस अधिकारी उस महिला को वहां से हट जाने के लिए उचित सुविधा प्रदान करने के बाद उस स्थान में प्रवेश करेगा।

8. गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य -

भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी के 24 घण्टे के भीतर (गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा में व्यतीत हुए समय को छोड़कर) निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 व धारा 167 में इसी प्रकार के प्राविधान किए गए हैं। ऐसे व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह नि:शुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट से अनुरोध कर सके और यह मजिस्ट्रेट का दायित्व है कि विधिक सहायता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से या अन्य माध्यम से उसे उपलब्ध कराए।

ऐसा व्यक्ति यदि जमानतीय अपराध में गिरफ्तार किया गया हैं तो वह अधिकारिक रूप से जमानत पाने का अधिकारी है। यदि वह पुलिस या मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुरूप जमानतनामा दाखिल करता है तो उसे अभिरक्षा में नहीं रखा जा सकता।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को वह कारण व आधार बताएं कि उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है और उस व्यक्ति को यह भी अधिकार है कि पुलिस अधिकारी से कहे कि उसकी गिरफ्तारी का वारण्ट उसे दिखाया जाए (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 50, 57 तथा 75)।

अभियुक्त को यह भी अधिकार है कि मजिस्ट्रेट के सामने यह प्रार्थना करे कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, इस आशय से उसका डाक्टरी परीक्षण करा लिया जाए या जेल में पहचान करा लिया जाए जो कुछ मामलों में इस बात का साक्ष्य हो सकता है कि

उसने जुर्म नहीं किया है या इस बात का साक्ष्य हो सकता है कि उसके प्रति किसी दूसरे द्वारा जुर्म किया गया है। अभियुक्त को यह सावधानी रखनी चाहिए कि यदि उसके विरूद्ध नामजद रिपोर्ट न हो या गवाह उसे न पहचानते हो तो अपने को बापर्दा रखे। पुलिस को भी ऐसे व्यक्ति को बापर्दा रखना चाहिए।

यदि किसी महिला की डाक्टरी परीक्षा कराई जानी हो तो महिला डाक्टर द्वारा ही परीक्षा करानी चाहिए। अगर किसी अभियुक्त को यह शिकायत है कि पुलिस ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है और मारा-पीटा है ता वह मजिस्ट्रेट से कहकर अपना डाक्टरी मुआइना करा सकता है। (दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 53-54)। मजिस्ट्रेट द्वारा भी स्वयमेव डाक्टरी परीक्षण के आदेश दिए जा सकते हैं।

गिरफ्तार व्यक्ति को यह अधिकार है कि गिरफ्तारी की दशा में वह अपने मित्र, रिश्तेदार अथवा किसी व्यक्ति के माध्यम से अपने वकील से सम्पर्क कर सके और विधिक राय प्राप्त कर सके। अगर पुलिस आफिसर जमानत नहीं लेता है तो वह मजिस्ट्रेट से जमानत की प्रार्थना कर सकता है कि उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए।

9. ज़मानत का अधिकार -

अपराध दो प्रकार के होते हैं -

(1) जमानतीय अपराध

(2) बिना जमानतीय अपराध

जमानतीय अपराध में अभियुक्त को जमानत पाने का विधिक अधिकार है। ऐसी जमानत पुलिस थाने या न्यायालय से करायी जा सकती है। बिना जमानतीय अपराध में मजिस्ट्रेट/न्यायालय को यह अधिकार है कि वह जमानत स्वीकार करे अथवा अस्वीकार करें। जमानतीय तथा बिना जमानतीय अपराधों के विषय में जमानत के अधिकार दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 436, 437, 439 के अन्तर्गत वर्णित हैं। जो अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास द्वारा दण्डनीय है उसमें मजिस्ट्रेट द्वारा तभी जमानत दी जा सकती है जबकि यह सिद्ध होने के कारण हो कि व्यक्ति दोषी नहीं है। किन्तु 16 वर्ष से कम आयु के बालक, औरत तथा अपंग अथवा बीमार अभियुक्त की जमानत बिना जमानतीय अपराध में भी मजिस्ट्रेट से मिल सकती है।

परीक्षण के मध्य यदि न्यायालय को ऐसा प्रतीत हो कि कदाचित अभियुक्त किसी गैर जमानतीय अपराध का दोषी नहीं है तो ऐसी दशा में बिना जमानतीय अपराध में भी वह जमानत ले सकता है। बिना जमानतीय अपराधों में जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगायी जा सकती है।

धारा-167 उ.प्र.सं. के प्राविधान के अनुसार कि यदि 90/60 दिनों के अन्दर विवेचना पूरी करके न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल नहीं होता है तो निरूद्ध व्यक्ति को जमानत का अधिकार हो जाता है तथा न्यायालय द्वारा शर्तों के साथ जमानत की जा सकती है। किन्तु ऐसी जमानत के मामलों में आरोप पत्र प्रेषित होने तथा न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के बाद अपराधी को पुनः हिरासत में लेकर अपराध के गुण-दोष के आधार पर जमानत मांगने के लिए आदेश दिया जा सकता है।

10. पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को ज़मानत पर छोड़ना -

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-71 के अन्तर्गत जारी किए गए जमानती वारण्ट में जमानत की शर्ते लिखी जानी चाहिए कि कितनी धनराशि की जमानतों पर छोड़ा जाना है तथा जमानतदारों की संख्या कितनी होगी तथा किस तिथि को उसे न्यायालय में उपस्थित होना है। जमानतीय अपराधों में थानाध्यक्ष से लिखित रूप से भी जमानत की मांग की जा सकती है।

संज्ञेय अपराधों में पुलिस द्वारा सामान्यतया निम्न आधार पर जमानत का विरोध किया जाता है कि -

(1) जमानत पर छूटने पर अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं होगा;

(2) जमानत हो जाने के बाद अभियुक्त गवाहान को प्रभावित करेगा;

(3) जमानत होने के बाद दूसरे जघन्य अपराध करेगा या पूर्व में सजायाप्ता अपराधी है;

(4) जमानत होने के पश्चात् चोरी या लूटा हुआ माल बरामद न हो सकेगा तथा

(5) अपराध बहुत गम्भीर प्रकृति का है तथा अपराधी शातिर है।

11. न्यायालय में जमानत के लिए प्रार्थना-पत्र देने का तरीका -

अभियुक्त स्वयं या अपने वकील के माध्यम से जमानत का प्रार्थना-पत्र दे सकता है। यदि अभियुक्त वकील नहीं कर सकता तो वह इस सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट/जज महोदय को प्रार्थना-पत्र दे सकता है कि उसे वकील की सुविधा उपलब्ध करायी जाए। वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से भी सम्पर्क करके निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का अनुरोध कर सकता है।

जमानत खारिज होने पर ओदश की निःशुल्क प्रति प्राप्त करने का अधिकार अभियुक्त को होता है जो न्यायालय से प्रार्थना करके प्राप्त किया जा सकता है। अगर जमानत हो जाती हो तो जमानत के समय जमानतदारों को न्यायालय में उपस्थित होना आवश्यक है जिससे मजिस्ट्रेट अपने को संतुष्ट कर सके कि प्रतिभूतियों द्वारा जो जमानतनामे दिए गए हैं वे पर्याप्त हैं ओर जमानतदार की हैसियत कितनी है। जमानतदार 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। जमानतदार यदि हैसियत वाले हैं और पेशेवर नहीं हैं और यदि उनके आचरण के विरूद्ध कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है तो जमानतनामे सामान्यातय अस्वीकृत नहीं किए जाते।

12. ज़मानतदारों के दायित्व -

जो जमानतदार किसी व्यक्ति की जमानत लेता है उसका यह दायित्व है कि न्यायालय के आदेशानुसार या प्रत्येक निश्चित तिथि पर अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश करें, ऐसा न करने पर न्यायालय द्वारा जमानत जब्त की जा सकती है तथा जब्त करने के पहले जमानतदार को नोटिस देना आवश्यक नहीं है किन्तु वसूली की कार्यवाई के पूर्व नोटिस आवश्यक है। न्यायालय द्वारा वसूल किए जाने वाली धनराशि में कमी भी की जा सकती है अगर यह संतुष्टि हो जाए कि जमानतदार ने जानबूझ कर न्यायालय के आदेश की अवज्ञा नहीं की है।

13. तलाशी, गिरफ्तारी व जमानत के मामलें में महिलाओं के विशेष अधिकार -

यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी के घर में तलाशी लेने के लिए आता है तो उसको दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 47 (2) में यह सावधानी बरतनी होगी कि वह घर में प्रवेश से पूर्व उस घर की पर्दानशीन स्त्री को कमरे से हटने के लिये पहले ही सूचित कर दें और वह स्त्री जब से अपनी सुविधानुसार बाहर निकल जाय तो पुलिस अधिकारी उसकी पूरी शिष्ठता को ध्यान में रखते हुये प्रवेश करें। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 51(2) में यह प्राविधान है कि किसी महिला की तलाशी लेते समय महिला की पूरी शिष्टता को ध्यान में रखते हुये केवल महिला पुलिस अथवा अन्य स्त्री द्वारा ही तलाशी ली जाय। यदि किसी महिला का चिकित्सा परीक्षा करानी आवश्यक हो तो वह किसी स्त्री चिकित्सक द्वारा ही की जा सकती है। पुलिस अधिकारी किसी अपराध के अन्वेषण के लिये किसी भी महिला को थाने पर नहीं बुला सकता है और महिला के बयान लेने के लिये पुलिस अधिकारी को उसके निवास स्थान पर जाना होगा। किसी महिला को गिरफ्तार करने के लिये भी महिला पुलिस होना आवश्यक है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437 के अन्तर्गत किसी स्त्री को मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास से दण्डनीय अपराध में भी मजिस्ट्रेट जमानत दे सकता है।

विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना - पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील - जनपद-

मैं .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .... निवासी .... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ-

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000/- (एक लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें) :-
   (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
   (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
   (ग) स्त्री या बालक
   (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
   (ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
   (च) औद्योगिक कर्मकार
   (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
   (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :-
   (1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवायें
   (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
   (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
   (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
   (5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता -

नाम -